"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2013—फाल्गुन 23, शक 1934

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(10) अध्यक्ष को प्रतिमाह रु. 75000/- समेकित वेतन निकालने की पात्रता होगी:

परन्तु यदि अध्यक्ष को, शासकीय या अर्धशासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से, पेंशन प्राप्त हो रही है तो वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा पुनरीक्षित वेतनमान) में देय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जो रुपये 75,000/- से कम न हो) में से देय पेंशन (संराशिकरण के पूर्व की) + महंगाई राहत घटाने के पश्चात् किया जायेगा :

परन्तु यदि सेवानिवृत्ति वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के पूर्व हुई है तो वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (जो रु. 75000/- से कम न हो) से पुनरीक्षित मूल पेंशन + राहत (यदि कोई हो), जो वास्तविक पेंशन से अधिक न हो, को घटाने के पश्चात् किया जायेगा."

2. नियम 14 के उप-नियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(13) पूर्णकालिक सदस्यों को प्रतिमाह रु. 52,120/- समेकित वेतन निकालने की पात्रता होगी: —

परन्तु यदि सदस्य को, शासकीय या अर्धशासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से, पेंशन प्राप्त हो रही है तो वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा पुनरीक्षित वेतनमान) में देय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जो रुपये 52,120/- से कम न हो) में से देय पेंशन (संराशिकरण के पूर्व की) + महंगाई राहत घटाने के पश्चात् किया जायेगा.

परन्तु यदि सेवानिवृत्ति वर्तमान पुनरीक्षण वेतनमान लागू होने के पूर्व हुई है तो वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (जो रु. 52,120/- से कम न हो) से पुनरीक्षित मूल पेंशन + राहत (यदि कोई हो), जो वास्तविक पेंशन से अधिक न हो, को घटाने के पश्चात् किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2, दिनांक 13-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 13th March 2013

NOTIFICATION

No. 1059/F 5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, with retrospective effect from 1st January, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (10) of rule 14, the following shall be substituted, namely:—

"(10) The Chairman shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs. 75000/-per month:

Provided that if the Chairman is getting pension from Government or Semi Government/ Government aided institutions, the pay shall be fixed by deduction the pension (before commutation) + dearness relief from the basic pay in pay structure (as per revised pay scale) + dearness allowance at the time of retirement (which should not be less than Rs. 75,000/-):

Provided further that if retirement is prior to commencement of present revised pay scale than pay shall be fixed, by deducting basic revised pension + relief (if any) which may not exceed actual pension from the minimum basic pay applicable for direct recruitment (which shall not be less than Rs. 75000/-) in corresponding revised pay structure on the pay scale admissible at the time of retirement."

2. For sub-rule (13) of rule 14, the following rule shall be substituted, namely :—

"(13) The full time Member shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs. 52,120/- per month:

Provided that, if the Member is getting any pension from Government or Semi Government/Government aided institutions, the pay would be fixed by deducting the pension (before commutation) + dearness relief from the basic pay in pay structure (as per revised pay scale) + dearness allowance at the time of retirement (which should not be less than Rs. 52,120/-).

Provided further that if retirement is prior to commencement of present revised pay scale than pay shall be fixed, by deducting basic revised pension + relief (if any) which may not exceed actual pension from the minimum basic pay applicable for direct recruitment (which shall not be less than Rs. 52,120/-) in corresponding revised pay structure on the pay scale admissible at the time of retirement."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHOUDHARY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.